न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 104 / 2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सहीराम पुत्र पोकर।
2 अमरचन्द पुत्र पोकर।
3 गुलाबी देवी पत्नी पोकर समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी महला की तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शिशुपाल पुत्र शिवचन्द जाति जाट निवासी बड़ापाना भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 10.09.2018 मुं.नं.142 / 17 उनवानी सहीराम आदि बनाम शिशुपाल प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धारा 212राज.काश्त.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री प्यारेलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–06.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 142/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 1195 हाल खसरा नम्बर 1728 ग्रम भोड़की तहसील उदयपुरवाटी के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर बने है नक्शा ट्रेश में रास्ते के गत खसरा नम्बर 1180 के नये नम्बर 1721 बने है उपखण्ड न्यायालय में पोकर बनाम बोयत वाद में राजीनाम हुआ है। जो वाद संख्या 147/91 में दिनांक 31.07.1996 को हुआ है मेरे खेत में से कोई रास्ता नही है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नही कर गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जबकि गलत राजस्व रिकार्ड की शुद्वि वाद में होनी है उससे पूर्व अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अपील स्वीकार की जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेवेन्यू रिकार्ड में यह भूमि राजकीय दर्ज है गैर मुमकिन रास्ता है तहसीलदार भूमिधारक को पक्षकार नही बनाया है। राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज के विरूद्व अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है भूप्रबध विभाग को ही पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थना पत्र में शिशपाल को पक्षकार बनाया है जबकि मूल वाद में शिशपाल पक्षकार नही है अपीलांट एवं शिशपाल के आपसी राजीनामे से गैर मुमकिन रास्ते के सन्दर्भ में आम जनता पाबंद कैसे हो सकती है 31.07.1996 के राजीनामें के अनुसार भी रिकार्ड की दुरूस्ती नही हुई है। पालना के लिये 12 वर्ष की मियाद होती है जो नही हुई है अपीलांट द्वारा 136 में दुरूस्ती का कोई आवेदन नही दिया गया है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1721 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है कटान सुधा रास्ता है। मौके पर चालु है इस रास्ते

भूप्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को अपीलांट के पूर्वज ने पहले भी बंद किया था जो 21.08.1992 को खुलवाया गया था। अपीलांट द्वारा इसे पुन बंद करने पर दिनांक 29.08.2017 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुन खुलवाया गया है। सार्वजनिक रास्ते में सभी के हित निहित होते है। पक्षकारों के आपसी राजीनामें से गैर मुमकिन रास्ते के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा देकर रास्ता बंद करना विधिक प्रावधानों के विपरित है। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता अंकित है अपीलांट ने भूमिधारक तहसीलदार को पक्षकार नही बनाया है विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को विवेचित कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/XI/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर